



Rajasthan Grameen Aajeevika Vikas Parishad

(The Organization Promoted by Government of Rajasthan for Rural Poverty alleviation)

क्रमांक 31(1)आरडी/RGAVP/SRC/Work Allocation/2016/52962 दिनांक 27-01-2017
970


जिला परियोजना प्रबंधक,
जिला परियोजना प्रबंधक इकाई(समस्त)
राजस्थान।

कार्यालय आदेश

प्रायः यह देखा गया है कि कैंडर एवं स्टॉफ के यात्रा भत्ते का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि सभी कैंडर के यात्रा भत्ते का भुगतान मौके पर और उसी दिन संबंधित DPMU द्वारा किया जायेगा, जहां प्रशिक्षण, मिटिंग इत्यादि का आयोजन किया गया है। यात्रा भत्ते का भुगतान संबंधित कैंडर/स्टाफ के बैंक खाते में अथवा नकद भुगतान के माध्यम से किया जा सकता है।


इसके अतिरिक्त सभी प्रशिक्षण, इमर्शन, कार्यशाला, बैठक इत्यादि के दौरान खान-पान एवं निवास की व्यवस्था CLF/VO द्वारा की जायेगी तथा इसका भुगतान संबंधित CLF/VO के बैंक खाते से किया जायेगा। इस प्रकार भोजन व्यवस्था से समूह की महिलाओं की आजीविका में भी वृद्धि होगी। यदि यह CLF/VO यह प्रबन्ध करने में सक्षम ना हो तो उसी दिन खाने का पैसा नियमानुसार सीधा कैंडर/स्टाफ के बैंक खाते में जमा कराया जायेगा।

समस्त DPMUs उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें। इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की देरी अथवा लापरवाही स्वीकार नहीं की जावेगी एवं निर्देशों की अवहेलना करने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी/स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी और उनके वेतन से उक्त राशि वसूल की जायेगी।


(राजीव सिंह ठाकुर)
स्टेट मिशन डायरेक्टर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सहायक, स्टेट मिशन डायरेक्टर, राजीविका।
2. मुख्य परिचालन अधिकारी, राजीविका।
3. राज्य परियोजना प्रबंधक(प्रशासन), राजीविका।
4. वित्तीय सलाहकार, राजीविका।
5. राज्य परियोजना प्रबंधक(समस्त), राजीविका।
6. लेखा शाखा/कैशियर, राजीविका।
7. रक्षित पत्रावली।


राज्य परियोजना प्रबंधक(प्रशासन)